रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 704] नई दिल्ली, सोमवार, जून 11, 2007/ज्येष्ठ 21, 1929
No. 704] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 11, 2007/JYAISTHA 21, 1929

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2007

**का.आ. 945(अ).**— केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, कर्नाटक (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, कर्नाटक कहा गया है) का गठन करती हे जिसमें कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव समाविष्ट होंगे हो जो निम्नलिखित हैं :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रो0 श्रीनिकेतन<br>रसायन इंजीनियरिंग विभाग<br>एन आई टी के, सुरथकाल,<br>मैंगलोर 575025 | अध्यक्ष, पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया, जोखिम आकलन |
| 2. | श्री ए.सी. लक्ष्मण, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत) मकान नं0 1, 7वां मेन, III स्टेज, गोकुलम, मैसूर 570002 | सदस्य, वानिकी और वन्यजीव, पर्यावरण नीति, लोक प्रशासन |
| 3. | सचिव, (पारिस्थितिकी और पर्यावरण, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरणं विभाग, कर्नाटक सरकार, एम एस बिल्डिंग, बंगलौर - 560001 | सदस्य सचिव |

2. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से तीन वर्ष होगी ।

3. प्राधिकरण, कर्नाटक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्याक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सतम्बर, 2006 में प्रगणित की जाए ।

4. प्राधिकरण कर्नाटक इस आदेश में कर्नाटक सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगी ।

5. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार, एम एस बिल्डिंग, बंगलौर, 560001 प्राधिकरण के सचिवालय के रुप में कार्य करेगा और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी । प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता कर्नाटक सरकार द्वारा नियमानुसार संदत्त होगा ।

6. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार कर्नाटक राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, कर्नाटक का गठन करती है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | डॉ0 आर.राघवेन्द्र राव, सी एस आई आर प्रख्यात वैज्ञानिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीसनल एण्ड एरोमैटिक प्लाण्ट्स रिसोर्स सेंटर, अलालासांड्रा, जी के वी के पोस्ट, बंगलौर | अध्यक्ष, जीवन विज्ञान (वानस्पतिजात प्रबंधन) |
| 2 | डॉ0 एस. मंजप्पा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, (रसायन एवं पर्यावरणीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अध्ययन केन्द्र, बापू जी इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, दावणगेरे - 577004 | सदस्य, पर्यावरण गुणता, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया |
| 3 | डॉ0 एच.आर. राजमोहन, ऑफिसर इंजार्ज, रीजनल ऑक्यूपेशन हेल्थ सेंटर (इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च), बंगलौर मेडिकल कॉलेज कैम्पस, बंगलौर- 560002 | सदस्य, परियोजना प्रबंधन जोखिम मूल्यांकन |
| 4 | डॉ0 एस. सूर्यप्रकाश, प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चर इकॉनामिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, जी के वी के बंगलौर- 560065 | सदस्य, एनवायरनमेंटल इकॉनॉमिक्स |
| 5 | डॉ0 टी.वी. रामचन्द्र, संयोजक, ऊर्जा एवं नमभूमि अनुसंधान ग्रुप (सी ई एस) सेंटर फार इकॉलाजिकल साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस, बंगलौर-560012 | सदस्य, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया, परियोजना प्रबंधन |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | प्रो0 ई.टी. पुट्टैया, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, पर्यावरणीय विज्ञान विभाग एवं जल प्रबंधन विभाग तथा जलकृषि, कुवेम्पु विश्वविद्यालय, शंकराघाट, शिमोगा- 577451 | सदस्य, जीवन विज्ञान (वनस्पतिजात एवं प्राणिजात प्रबंधन) |
| 7 | प्रो0 आरे. के. कट्टी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष मत्स्य पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विभाग, कॉलेज ऑफ फिशरीज, कंकानाडी, मंगलौर-575002 | सदस्य, पर्यावरण गुणता जीवन विज्ञान (प्राणिजात प्रबंधन) |
| 8 | डॉ0 संगमेश अमरप्पा पाटिल, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, पी.जी.डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड.- 580003 | सदस्य, पर्यावरण गुणता |
| 9 | प्रो0 डी.एल.मंजुनाथ, टुंगा, ईश्वर टेम्पल के पास, गौरी कोपल रोड, हासन- 573201 | सदस्य, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याकन प्रक्रिया, पर्यावरणीय गुणता |
| 10 | वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी सेल) पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार, एम.एस. बिल्डिंग, बंगलौर-560001 | सदस्य |

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी, कर्नाटक का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात पुर्नठन किया जाएगा ।

8. एस ई ए सी, कर्नाटक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 में प्रगणित की जाएं ।

9. एस ई ए सी, कर्नाटक सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी ।, अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा ।

10. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार, एम एस बिल्डिंग, बंगलौर- 560001 के एस ई ए सी, कर्नाटक के सचिवालय के रुप में कार्य करेगा और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायेगी । एस ई ए सी के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[सं. जे-11013/16/2007-आई ए-II(I)]

ज. मो. माऊसकर, संयुक्त सचिव